

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 118/2015

अनवान :

1. घीसाराम पुत्र मेघाराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रामस्वरूप } पि० ख्यालीराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16
2. दयाराम } भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश } पि० मूलाराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16
4. शिवभगवान } भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्णा पुत्री मूलाराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सन्तलाल } पि० पोकरराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16
7. रणजीत } भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. शिशपाल }
9. गोरा देवी पत्नी स्व० पन्नालाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. महावीर प्रसाद } पि० स्व० पन्नालाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16
11. विनोद } भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. ताराचन्द }
13. सुमित्रा पुत्री स्व० पन्नालाल पत्नि बृजलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 12 बस अड्डा के पास डॉ. सचदेवा के सामने वाली गली मण्डी डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
14. सरोज पुत्री पन्नालाल पत्नि किशोरी चन्द मास्टर जाति रेगर निवासी जोगीआसन बास साहवा बस स्टेण्ड के पास नोहर जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)
15. बनारसी पुत्री पन्नालाल पत्नी प्रहलाद जाति रेगर निवासी रामबास मोहल्ला राजगढ़ जिला चूरु।
16. मन्जू पुत्री पन्नालाल पत्नी महेन्द्र कुमार फुलवाड़िया जाति रेगर निवासी रेगर बोस्ती सुरजगढ़ जिल झुझुनू।

Rw
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

17. कमला देवी पत्नी स्व० मोहनलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
18. विद्याधर उर्फ विजय पुत्र स्व० मोहनलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा जिला हनुमानगढ़।
19. प्रभाती पुत्री मोहनलाल पत्नी राकेश कुमार जाति रेगर निवासी वार्ड नं० 8 रेगर मोहल्ला तहसील रतनगढ़ जिला चूरु।
20. सन्जू पुत्री स्व० मोहनलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
21. सुमन पुत्री मोहनलाल पत्नि चिरंजीलाल जाति रेगर निवासी मैनबाजार थाना रोड़ अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
22. राहुल उम्र 15 वर्ष } पुत्रान स्व० सुनीता पुत्री मोहनलाल निवासी
23. शुभम उम्र 13 वर्ष } वार्ड सं० 16 भादरा नाबालिगान जरिये वली
24. सहिल उम्र 11 वर्ष } नानी कमला पत्नी मोहनलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53

राजस्थान काश्त० अधिनियम एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी

निर्णय

दिनांक : 13.08.2018

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 केआरपी के खाता सं० 35/54 के मु० नं० 16 के किला नं० 6/1 की 0.025 है०, किला नं० 7 की 0.167 है०, किला नं० 8/1 की 0.025 है० किला नं० 9 की 0.177 है०, किला नं० 10 की 0.177 है० किला नं० 11/1 की 0.177 है० किला नं० 12/1 की 0.177 है० किला नं० 13/2 की 0.063 है० किला नं० 14/1 की 0.177 है० किला नं० 15/1 की 0.101 है० मय खाला 0.012 है० कुल 1.266 है० नहरी 1.254 है० खाला 0.012 है० में से वादी की 0.506 है० प्रतिवादी सं० 1 व 2 की 0.253 है० प्रतिवादी सं० 3 ता 5 और उनकी माता मृतका रूकमा की 0.253 है० प्रतिवादीगण सं० 6 ता 8 की प्रत्येक की 0.051 है० और प्रतिवादीया सं० 9 की 0.019 है० और प्रतिवादीगण सं० 9 ता 16 की 0.031 है० प्रतिवादीया सं० 17 की 0.019 है० और प्रतिवादी सं० 17 ता 21 और मृतका सुमन की वारिसान प्रतिवादी सं० 22 ता 24 की 0.031 है० कृषि भूमि खातेदारी है। जब कि उक्त जमाबन्दी में मृतक पोकरराम के नाम 0.253 है० भूमि उसके वारिसान के नाम दर्ज हो जाने पर भी पुनः उसके नाम गलत दर्ज है और प्रतिवादीया सं० 9 के नाम 0.051 है० भूमि गलत दर्ज है जब कि उसके नाम 0.019 है० भूमि ही दर्ज होनी चाहिए जो

जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 68 से साफ रोशन है और सुनिता के स्थान पर सनीता गलत दर्ज है।

हाल जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 के खाता सं० 35/54 की उक्त वाद भूमि में सहबन्त एवं लिपिकीय भूल से मृतक पोकर राम पुत्र बालुराम के नाम 0.253 है० भूमि दर्ज की गई है। जबकि पोकरराम की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान के नाम उक्त 0.253 है० भूमि का ईन्तकाल नं० 359 दिनांक 05.07.2011 द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2065-68 के खाता सं० 54/48 में दर्ज हो चुका है जो उक्त जमाबन्दी से साफ रोशन है और इसके अतिरिक्त वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीया सं० 9 गोरा देवी का हिस्सा 0.051 है० गलत दर्ज हो गया है जबकि उसका हिस्सा उक्त इन्तकाल नं० 359 दिनांक 05.07.2011 द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2065-68 के खाता सं० 54/48 में उसके नाम 0.019 है० विरासतन दर्ज हुआ है जो गलती सहबन व लिपिकीय भूल से हुई है और प्रतिवादीगण सं० 22 ता 24 की माता सुनीता का नाम भी वर्तमान जमाबन्दी में सनीता गलत दर्ज हुआ है जबकि पूर्व जमाबन्दी में सुनिता नाम ही दर्ज है। उक्त सहबन व भूल से हुई गलती को दुरुस्त किया जाकर मौजूदा रिकार्ड में मृतक पोकरराम के नाम दर्ज 0.253 है० को कलमजन किया जावे और प्रतिवादीया सं० 9 के नाम दर्ज 0.051 है० के स्थान पर 0.019 है० दर्ज किया जावे और प्रतिवादीगण सं० 22 ता 24 की माता मृतक सुनीता का नाम सनीता के स्थान पर सुनीता दर्ज किया जावे।

वादी द्वारा उक्त वाद भूमि में से 40 हिस्सा यानि 0.506 है० भूमि गंगाजल व सोहनलाल से खरीद की हुई है जो चक नं० 1 के आरपी के मु० नं० 16 के किला नं० 9 की 0.177 है० में से 0.076 है० पश्चिमी तरफ की, किला नं० 10 की 0.177 है० किला नं० 11/1 की 0.177 है० किला नं० 12/1 की 0.177 है० में से 0.076 है० पश्चिमी तरफ की कुल 0.506 है० नहरी कृषि भूमि का खरीद के समय वादी को कब्जा दिया गया था। जिसको वादी शान्तिपूर्वक लगातार काश्त करता आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि खरीद करने के पश्चात् उसको समतल, उपजाऊ बनाया है और मु० नं० 16 के किला नं० 12/1 की 0.177 है० में से पश्चिमी तरफ की 0.076 है० खरीद की गई भूमि में सिंचाई हेतु टयुबवैल लगाया हुआ है और दो कमरा व रसोई बनाई हुई है। शेष वाद भूमि प्रतिवादीगण को बंटवारा में मिली हुई है और बंटवारा अनुसार वे अपनी अपनी भूमि काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त वाद भूमि का खाता संयुक्त होने से आये दिन पक्षकारान में सींव डोल व लगान आदि को लेकर तनाजा रहता है। इसलिए वादी उक्तानुसार अपनी खरीद शुदा कब्जा काश्त की भूमि का शेष भूमि से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है और प्रतिवादीगण इसके लिए उत्तरदायी है।

वादी के हक हिस्सा में आई भूमि वादी की खरीदशुदा है जिसका खाता अलग कायम किया गया है। प्रतिवादीगण अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है। वादी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है कि भविष्य में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता स्वीकृति बाबत विधिक कार्यवाही संस्थित करने पर नियमानुसार रास्ता स्वीकृति हेतु सहमति दी है। प्रतिवादीगण द्वारा

विधिक प्रावधानों के अधीन रास्ता प्रदान किया जावे। प्रकरण में तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी एवं विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया, अब तहसीलदार भादरा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जिस पर पक्षकारान को सुना गया, कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. घीसाराम वल्द मेघाराम कौम रेगर सा० बिहारीपुरा खातेदार के पास :- चक 1 केआरपी के मु०न० 16 के किला नं० 9/2 की 0.076 है०, किला नं० 10 की 0.177 है० किला नं० 11/1 की 0.177 है०, किला नं० 12/2 की 0.076 है० किता 4 कुल क्षेत्रफल 0.506 है० नहरी लगान 4.00
2. सन्तलाल 0.051 है०, रणजीत 0.051 है०, शिशपाल 0.051 है० पि० पोकरराम गोरदैवी पत्नि स्व० पन्नालाल 0.024 है० कमलादेवी पत्नि मोहनलाल 0.024 है० महावीर प्रसाद विनोद ताराचन्द सुमित्रा सरोज बनारसी मन्जू पि० स्व० पन्नालाल 0.027 है०, विद्याधर उर्फ विजय प्रभाती, सुमन, सन्जू, सनिता पुत्र/पुत्रियां मोहनलाल 0.026 है० सा० बिहारीपुरा रामस्वरूप दयाराम पि० ख्यालीराम 0.253 है० ओमप्रकाश, शिवभगवान पि०मूलाराम कृष्णा पुत्री मूलाराम रूकमा पत्नि मूलाराम 0.253 है० कौम रेगर सा० भादरा खातेदार के पास :- चक 1 केआरपी के मु०न० 16 के किला नं० 6/1 की 0.025 है० नहरी, किला नं० 7 की 0.167 है० नहरी किला नं० 8/1 की 0.025 है०, नहरी किला नं० 9 की 0.101 है० नहरी किला नं० 12/1 की 0.101 है० नहरी, किला नं० 13/2 की 0.063 है० नहरी, किला नं० 14/1 की 0.177 है० नहरी, किला नं० 15/1 की 0.101 है० जिसमें से नहरी 0.089 है० खाला 0.012 है० कुल किता 8 रकबा 0.760 है० जिसमें नहरी 0.748 है० खाला 0.012 है० लगान 5.92

उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग कायम किया जाकर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन यथावत् रखा जाकर राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि पक्षकारान के नाम अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

करण सं० : 118/2015

अनवान :

1. घीसाराम पुत्र मेघाराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रामस्वरूप } पि० ख्यालीराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16
2. दयाराम } भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश } पि० मूलाराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16
4. शिवभगवान } भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्णा पुत्री मूलाराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सन्तलाल } पि० पोकरराम जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16
7. रणजीत } भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. शिशपाल }
9. गोरा देवी पत्नी स्वं पन्नालाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. महावीर प्रसाद } पि० स्वं० पन्नालाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16
11. विनोद } भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. ताराचन्द }
13. सुमित्रा पुत्री स्व० पन्नालाल पत्नि बृजलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 12 बस अड्डा के पास डॉ. सचदेवा के सामने वाली गली मण्डी डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
14. सरोज पुत्री पन्नालाल पत्नि किशोरी चन्द मास्टर जाति रेगर निवासी जोगीआसन बास साहवा बस स्टेण्ड के पास नोहर जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)
15. बनारसी पुत्री पन्नालाल पत्नी प्रहलाद जाति रेगर निवासी रामबास मोहल्ला राजगढ़ जिला चूरु।
16. मन्जू पुत्री पन्नालाल पत्नी महेन्द्र कुमार फुलवाड़िया जाति रेगर निवासी रेगर बस्ती सुरजगढ़ जिल झुझनू।
17. कमला देवी पत्नी स्वं० मोहनलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
18. विद्याधर उर्फ विजय पुत्र स्वं० मोहनलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा जिला हनुमानगढ़।
19. प्रभाती पुत्री मोहनलाल पत्नी राकेश कुमार जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 8 रेगर मोहल्ला तहसील रतनगढ़ जिला चूरु।
20. सन्जू पुत्री स्व० मोहनलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

21. सुमन पुत्री मोहनलाल पत्नि चिरंजीलाल जाति रेगर निवासी मेनबाजार थाना रोड़ अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
22. राहुल उम्र 15 वर्ष } पुत्रान स्व० सुनीता पुत्री मोहनलाल निवासी
23. शुभम उम्र 13 वर्ष } वार्ड सं० 16 भादरा नाबालिगान जरिये वली
24. सहिल उम्र 11 वर्ष } नानी कमला पत्नी मोहनलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं० 16 भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पुनमचन्द वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

1. घीसाराम वल्द मेघाराम कौम रेगर सा० बिहारीपुरा खातेदार के पास :- चक 1 केआरपी के मु०नं० 16 के किला नं० 9/2 की 0.076 है०, किला नं० 10 की 0.177 है० किला नं० 11/1 की 0.177 है०, किला नं० 12/2 की 0.076 है० किता 4 कुल क्षेत्रफल 0.506 है० नहरी लगान 4.00
2. सन्तलाल 0.051 है०, रणजीत 0.051 है०, शिशपाल 0.051 है० पि० पोकरराम गोरादेवी पत्नि स्व० पन्नालाल 0.024 है० कमलादेवी पत्नि मोहनलाल 0.024 है० महावीर प्रसाद विनोद ताराचन्द सुमित्रा सरोज बनारसी मन्जू पि० स्व० पन्नालाल 0.027 है०, विद्याधर उर्फ विजय प्रभाती, सुमन, सन्जू, सनिता पुत्र/पुत्रियां मोहनलाल 0.026 है० सा० बिहारीपुरा रामस्वरूप दयाराम पि० ख्यालीराम 0.253 है० ओमप्रकाश, शिवभगवान पि०मूलाराम कृष्णा पुत्री मूलाराम रूकमा पत्नि मूलाराम 0.253 है० कौम रेगर सा० भादरा खातेदार के पास :- चक 1 केआरपी के मु०नं० 16 के किला नं० 6/1 की 0.025 है० नहरी, किला नं० 7 की 0.167 है० नहरी किला नं० 8/1 की 0.025 है०, नहरी किला नं० 9 की 0.101 है० नहरी किला नं० 12/1 की 0.101 है० नहरी, किला नं० 13/2 की 0.063 है० नहरी, किला नं० 14/1 की 0.177 है० नहरी, किला नं० 15/1 की 0.101 है० जिसमें से नहरी 0.089 है० खाला 0.012 है० कुल किता 8 रकबा 0.760 है० जिसमें नहरी 0.748 है० खाला 0.012 है० लगान 5.92

उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग कायम किया जाकर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन यथावत् रखा जाकर राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि पक्षकारान के नाम अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.08.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़